

आयालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A 6/7

अधिकारी-

करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या
9/अपील/22

तारीख दायरा
09.02.2022

तारीख फैसला
24.06.2022

1. मोरपाल
2. बजरंगा
3. धनपाल
4. हरपाल
- पि० हरदेव जाति मीना निवासी ग्राम सण्डीला तहसील नैनवा जिला बून्दी।

-अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंगी पुत्री हरदेव पत्नि बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम सण्डीला हाल निवास घांस भेरू का चौक धर्मशाला के पीछे देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. धनपाली पुत्री हरदेव पत्नि हज्यारा जाति मीना निवासी ग्राम सण्डीला हाल निवास ग्राम मोतीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. महावीर आ० घासीलाल माता मथरा बाई जाति मीना निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
4. रामफूल आ० घासीलाल माता मथरा बाई जाति मीना निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
5. मुकेश आ० घासीलाल माता मथरा बाई जाति मीना निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
6. रामघणी पुत्री घासीलाल माता मथरा बाई जाति मीना हाल पत्नि सोनू निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
7. उम्मेद आ० सत्यनारायण पौत्र मथरा बाई जाति मीना नाबालिग जर्ये वली माता आशा बाई पत्नि स्व० सत्यनारायण जाति मीना निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
8. अजीत आ० सत्यनारायण पौत्र मथरा बाई जाति मीना नाबालिग जर्ये वली माता आशा बाई पत्नि स्व० सत्यनारायण जाति मीना निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
9. मोनिका पुत्री सत्यनारायण पौत्र मथरा बाई जाति मीना नाबालिग जर्ये वली माता आशा बाई पत्नि स्व० सत्यनारायण जाति मीना निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
10. आशा पत्नि स्व० सत्यनारायण पुत्रवधु मथरा बाई जाति मीना निवासी ग्राम स्यालासुखपुरा ग्राम पंचायत छारनेट तहसील दूनी जिला टोंक।
11. रामप्रसाद आ० हरदेव जाति मीनास निवासी ग्राम सण्डीला तहसील नैनवा जिला टोंक।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

-रेस्पोडेन्ड

अति० जिला कलक्टर
बूंदी (राज०)

A 6
2


अपीलान्त संख्या 1 लगायत 4 की ओर से – श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एड०
रेस्पो० संख्या 1 व 2 की ओर से – श्री रमेश कुमार सैनी एड०
रेस्पो० संख्या 3 लगायत 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो० संख्या 11 की ओर से – श्री श्याम दत्त दाधिच एड०
रेस्पो० संख्या 12 की ओर से – परोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैनवा द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 29.11.1995 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा संख्या 114 रकबा 2.6940 हेक्टेयर, 114/882 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, 126 रकबा 2.3057 हेक्टेयर, 126/883 रकबा 0.6796 हेक्टेयर, 127 रकबा 3.8508 हेक्टेयर, 132 रकबा 1.6989, 134 रकबा 0.3236 हेक्टेयर, 135 रकबा 0.3398 हेक्टेयर, 324 रकबा 0.0162 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 11.9248 हेक्टेयर वाके ग्राम सण्डीला पटवार हल्का मानपुरा तहसील नैनवा मृतक खातेदार हरदेव के स्थान पर अपीलान्त संख्या 1 लगायत 4 एवं रेस्पोडेन्ड संख्या 1, 2 व 11 का नाम दर्ज किया गया है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० संख्या 3 लगायत 10 बावजूद सूचना दिनांक 05.04.2022 को उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदत्त किये गये।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 114 रकबा 2.6940 हेक्टेयर, 114/882 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, 126 रकबा 2.3057 हेक्टेयर, 126/883 रकबा 0.6796 हेक्टेयर, 127 रकबा 3.8508 हेक्टेयर, 132 रकबा 1.6989, 134 रकबा 0.3236 हेक्टेयर, 135 रकबा 0.3398 हेक्टेयर, 324 रकबा 0.0162 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 11.9248 हेक्टेयर वाके ग्राम सण्डीला पटवार हल्का मानपुरा तहसील नैनवा में विस्थित हैं जिसमें मृतक खातेदार हरदेव का हिस्सा निहित हैं। खातेदार हरदेव की मृत्यु के उपरांत अपीलान्त संख्या 1 लगायत 4 एवं रेस्पोडेन्ड संख्या 1, 2 व 11 के नाम से विधि विरुद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांत एवं रेस्पोडेन्ड अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है यह पुराने हिन्दू लॉ से शासित होते हैं जिसके मुताबिक पुत्रों के जीवित रहते हुये पुत्रियों को उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1, 2 व 11 का नाम नामान्तरकरण आदेशिका में दर्ज हो जाने का फायदा उठा कर रेस्पोडेन्ड क्रम संख्या 1 व 2 रेस्पोडेन्ड संख्या 11 से उनके हिस्से में निहित भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कर अपीलांत को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। अपीलांत एक अशिक्षित व्यक्ति हैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांत को दिनांक 19.12.2021 को पटवारी हल्का से संपर्क करने पर हुई। अपीलांत द्वारा जानकारी प्राप्त होते ही जमाबंदी की नकल प्राप्त कर नामान्तरकरण आदेश हेतु तहसीलदार नैनवा के यहां नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथि से अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता है तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के


अति० जिला कलक्टर

A6
3

अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः
स्वीकार की जाकर तहसीलदार नैनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश
29.11.1995 खारिज किया जावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में
आरबीजे 2006 पेज 1, आरबीजे 2002 पेज 108, आरआरडी 2020 पेज 8, आरआरडी 2019
पेज 5, आरआरडी 2002 पेज 31, आरबीजे 2007 पेज 114 की नजीरें प्रस्तुत की।


वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 1 व 2 ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपील अवधि
बाधित प्रस्तुत की गई है जिसे मियाद के बिन्दु के आधार पर अवधि बाधित मान कर
खारिज किया जाना चाहिए। अवधि के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई समुचित तथ्य प्रार्थना
पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
समुचित प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया है। अतः अपील
अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 11 ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपील अवधि बाधित
प्रस्तुत की गई है जिसे मियाद के बिन्दु के आधार पर अवधि बाधित मान कर खारिज
किया जाना चाहिए। अवधि के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई समुचित तथ्य प्रार्थना पत्र
अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किये गये हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही
एक समरी कार्यवाही है। नामान्तरकरण से केवल पक्षकारान को किसी भी प्रकार का लाभ
व अधिकार तय नहीं होते हैं। यह केवल मात्र सरकार द्वारा लगान वसूल करने के लिए
कानूनी कार्यवाही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश में कोई विधिक
त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण आदेश
पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का
आदेश यथावत रखा जावे। वकील रेस्पोडेन्ड ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी
2019 पेज 266 की नजीरें प्रस्तुत की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण
गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित हो।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।
अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित
किया जाना उचित समझते हैं, जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां
अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है।
हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक
29.11.1995 से मृतक हरदेव के स्थान पर पर अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ड
संख्या 1, 2 व 11 का नाम अंकित किया गया है। अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि
अपीलांट व रेस्पोडेन्ड अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
से शासित नहीं होकर पुराने हिन्दू लॉ से शासित होते हैं। पुराने हिन्दू लॉ में पुत्रों के
जीवित रहते हुये पुत्रियों को कोई वैधानिक अधिकार संपत्ति पर प्राप्त नहीं होते हैं।
अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण
अधीनस्थ न्यायालय से करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील सारवान पाए जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.1995 को निरस्त किया जाता है साथ ही
प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह


अति० जिला कलक्टर
पुणे (महाराष्ट्र)

A6
4

सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का
निर्णय करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे।
फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की
पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(करतार सिंह)

अति० जिला कलेक्टर,
बूंदी (बूंदी)